म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड किसान भवन

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

मुख्यालय भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए

वर्ष 2019–20

निविदा फार्म

नम्बर ....

कीमत – 10,000 रू0 प्रति
(रूपये दस हजार)

SURESH/NIVIDHA_SURKSHA_GARD_Frant Page

(संयु. संचालक प्रशा.) (अपर संचालक) अपर संचालक (वित्त) (अधीक्षण यंत्री) अपर संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्ते

1. कार्य का परिचय :-

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल अपने ऑफिस काम्पलेक्स हेतु सुरक्षा व्यवस्था बावत् निविदा आमंत्रित करता है। यह कार्यालय 26 अरेरा हिल्स, जेल रोड, बैंक ऑफ इण्डिया के पीछे स्थापित है। इसमें मंडी बोर्ड का मुख्यालय जिसमें लगभग 260 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है तथा मंडी बोर्ड का संभागीय कार्यालय जिसमें लगभग 50 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है, भवन के एक भाग में लगता है। दूसरे भाग में संचालक पेंशन एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग जिसमें लगभग 100 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है लगता है, इसके अतिरिक्त इस परिसर में भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक एक्सटेंशन काउन्टर जिसमें लगभग 11 कर्मचारी कार्यरत है तथा केन्टीन कार्यालय कर्मचारियों हेतु स्थापित है। इसके अतिरिक्त म0प्र0 आजीविका फोरम विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी है लगभग 1.5 एकड़ में बना यह परिसर कम्पाउण्डवाल से घिरा है तथा खुद का विद्युत सब स्टेशन भी है। इस परिसर में फायर फाईटिंग की अतिरिक्त आधुनिक व्यवस्था है। इस परिसर की समस्त प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जिसके तहत अधोलिखित कार्य संपादन हेतु अन्य महत्वपूर्ण शर्ते नीचे बताई गई है :-

2. कार्य का प्रकार एवं विवरण :-

(1) सुरक्षा ऐजेंसी को कार्यालय परिसर की 24 घंटे सुरक्षा हेतु तीन शिफ्टों में रोटेशन में आवश्यक सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था करनी होगी।

(2) सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत फर्म का यह कर्तव्य होगा कि परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के जानमाल तथा परिसर की प्रत्येक चल अचल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जानवर एवं मवेशियों को परिसर में प्रवेश करने से रोक लगावें।

(3) कार्यालयीन समय में आने-जाने वाले आगुन्तकों हेतु अस्थाई प्रवेश पास बनायेंगे, तथा उनका विवरण, जिसका प्रारूप मंडी बोर्ड देगी, रजिस्टर में रखेंगे। मंडी बोर्ड एवं इस परिसर के अन्य कर्मचारियों को स्थाई परिचय पत्र जारी किये जावेंगे परिचय पत्रधारी व्यक्तियों को ही परिसर में बिना रजिस्टर में प्रविष्टी आदि के आ जा सकेंगे। कार्यालयीन समय के बाद रूकने अथवा आने-जाने

उप संचालक (प्रशा.) | अपर संचालक (महाप्रबंधक) | अपर संचालक (वित्त) | (अधीक्षण यंत्री) | अपर संचालक (मार्केट)

वाले ऐसे परिचय पत्रधारी व्यक्तियों की प्रविष्टी भी आगुन्तक पंजी में की जावेगी।

(4) मंडी बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों, विधायकों, संसदों सवं वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रविष्टी पत्र से छूट रहेगी। इनकी सूची सुरक्षा कांउटर में उपलब्ध रहेगी जो तथा इन्हें ससम्मान प्रवेश करने की अनुमति दी जावेगी। अधिकारियों/कर्मचारियों, विधायकों, सांसदों, बोर्ड के सदस्यों एवं मंडी बोर्ड के वाहनों को छोड़कर बिना अनुमति कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा।

(5) सुरक्षा ऐजेंसी की जवाबदारी रहेगी कि बिना सक्षम अनुमति व प्रविष्टी पत्र के कार्यालयीन परिसर से कोई भी सामग्री नहीं जा सकेगी और न ही आ सकेगी। संदेहसात्मक स्थिति में सुरक्षा कर्मी आगुन्तकों द्वारा लाई गई सामग्री जैसेः- ब्रीफकेस बैग आदि व इनके वाहनों की जाँच कर सकेगें। इस प्रयोजन के लिये सुरक्षा ऐजेंसी द्वारा बोर्ड परिसर के 03 प्रवेश द्वारों के लिये 03 हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था भी अनिवार्यतः की जाना होगी। शंकास्पद व गैर कानूनी सामग्री पाए जाने पर बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करेंगे जो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगे। ऐसी कार्यवाही कराने में ऐजेंसी को सहयोग देना अनिवार्य होगा। बाहर से आने वाले आगुन्तकों की एंट्री करना आवश्यक है ओर कार्यालय में किससे मिलना है ओर मिलने का कारण भी रजिस्टर में लिखा जावे।

(6) मंडी बोर्ड परिसर में रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 8.00 तक कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की विशेष अनुमति के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

3. <u>निविदा की सामान्य शर्ते :-</u>

(1) सुरक्षा व्यवस्था हेतु मुख्यालय में नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों में न्यूनतम 01 सुरक्षा अधिकारी, 03 गनमैन तथा 25 सुरक्षा गार्ड एवं मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों तथा तकनीकी कार्यालयों के लिये आवश्यकतानुसार मांग के आधार पर) सुरक्षा कर्मी रखना होंगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य सुरक्षा कर्मी जैसेः- सहायक सुरक्षा अधिकारी, सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड (आर्मड) एवं निजी सुरक्षा कर्मी (पी0एस0ओ0) भी सम्मिलित किये जा सकते है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या तथा उनकी रैंक (पदनाम) के सुरक्षा कर्मियों को रखे जाने के संबंध में निर्णय का एक मात्र अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

सम्यु. संचालक (क्रय)   अपर संचालक (अधोसंरचना)   अपर संचालक (वित्त)   अपर संचालक (कार्मिक)   (अधीक्षण यंत्री)

(2) सुरक्षा ऐजेंसी के सेवा प्रभार की गणना में ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 एवं जी0एस0टी0 इत्यादि को विचार में नहीं लिया जायेगा तथा सुरक्षा कर्मियों को देय कुल वेतन (Gross Amount) के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले कुल मासिक भुगतान के आधार पर सेवा प्रभार की गणना की जावेगी। निविदा दर, सेवा प्रभार के आधार पर **संलग्न प्रपत्र-01 में अंकित करना होगी।**

(3) सुरक्षा ऐजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा अधिकारी को जिला कलेक्टर, भोपाल की समय-समय पर वर्तमान कुशल दर से भुगतान किया जावेगा एवं गनमैन और सुरक्षा गार्डो को जिला कलेक्टर, भोपाल की समय-समय पर वर्तमान निर्धारित अर्द्धकुशल दर से भुगतान किया जावेगा।

(4) निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय अमानत राशि रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की डी0डी0 **''लेखाधिकारी, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल''** के नाम से संलग्न करना होगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद रू0 4.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) की सुरक्षा निधि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अतिरिक्त रूप से जमा कराना होगा। जिसकी डी0डी0 **''लेखाधिकारी, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल''** के नाम होगा।

(5) निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त **''म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल''** से अनुबंध नहीं करने की दशा में अमानत राशि रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख) बोर्ड द्वारा जप्त कर ली जावेगी।

(6) निविदा स्वीकृति उपरान्त, सुरक्षा ऐजेंसी को प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से दो वर्ष का अनुबंध निष्पादित करना होगा। मंडी बोर्ड द्वारा ऐजेंसी के कार्य को संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 3 माह की पूर्व सूचना से अनुबंध समयावधि के पूर्व समाप्त किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर यह अनुबंध अधिकतम 01 वर्ष के लिये आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

(7) ऐजेंसी द्वारा सुरक्षाकर्मी को प्रदाय बन्दूक का लायसेंस (उसके स्वंय के नाम होने संबंधी लायसेंस) की छायाप्रति देना होगा।

(8) प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी का कार्य समय 8.00 घंटा रहेगा।

(9) निविदाकार सुरक्षा एजेंसी का प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय माडल नियम, 2006 के अंतर्गत वैद्य पंजीयन/लायसेंस होना आवश्यक है।

(10) निविदाकार ऐजेंसी को केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के उपक्रमों राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैकों आदि की सुरक्षा कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।

(11) निविदाकार ऐजेंसी को किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया हो।

(12) किसी भी सुरक्षा कर्मी की छुट्‌टी एवं बीमारी की स्थिति में सुरक्षा ऐजेंसी को तत्काल नये कर्मचारी की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

(13) सुरक्षा ऐजेंसीं अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी, मोजा, जूता, रेंनकोट व बन्दूक, कारतूस, टार्च सेल व अन्य सुरक्षा सामग्री आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएगी।

(14) कोई सुरक्षा कर्मी किसी गैर कानूनी कार्यकलाप में लिप्त पाया जाता है या उनके द्वारा कोई अभद्रता की जाती है या वह किसी प्रकार के मादक पदार्थ का उपयोग करते हुये पाया जाता है तो मंडी बोर्ड को अधिकार रहेगा कि ऐसे सुरक्षा कर्मी को तत्काल परिसर से हटा दें एवं सुरक्षा ऐजेंसीं को इनके स्थान पर तत्काल उपयुक्त व्यक्ति की पूर्ति करना होगी।

(15) निविदाकार ऐजेंसी का विगत तीन वर्ष का औसत टर्न ओवर रू0 1,50,0000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख) होना अनिवार्य है। इसके समर्थन में पिछले 03 वर्षो की (वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18) आडिटेड बैलेंसशीट तथा आयकर रिर्टन की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही GST का वर्ष 2017-18 का क्लीयरेंस प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

(16) सुरक्षा एजेंसी में वर्तमान में कम से कम 300 सुरक्षा कर्मी कार्यरत होना अनिवार्य होगा।

(17) निविदाकार ऐजेंसी पर प्रचलित सुरक्षा कानून अनुबंध के तहत लागू होगें।

(18) सुरक्षा एजेंसी के द्वारा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं GST अंशदान इत्यादि की राशि नियमानुसार जमा कर कार्यालय में उनके चालान देयक के साथ प्रस्तुत होने पर उसकी प्रतिपूर्ति मासिक रूप से की जावेगी। ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 एवं GST अधिनियम के तहत अगर कोई उल्लंधन

किया जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेंसी की रहेगी। इसी प्रकार केन्द्र शासन या राज्य शासन को किसी विधि से कोई भी रकम जमा करना होगी उसकी समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेंसी की होगी एवं कार्यरत सुरक्षा कर्मियों की ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 नंबरों की सूची देयक के संलग्न करना होगी।

(19) सर्विस चार्ज से आशय है सुरक्षा ऐजेंसीं द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के एवज में सुरक्षा कर्मियों को देय मासिक भुगतान (ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं GST टैक्स इत्यादि को छोड़कर) पर देय प्रतिशत होगा।

(20) सुरक्षा ऐजेंसी को निम्न तथा अन्य प्रचलित अधिनियमों का पालन करना होगा:-

(a) Minimum Wages Act 1948.
(b) Contrybutory P.F. And Misellaneious Provisions Act 1952.
(c) Factories Act & M.P. Rules 1948.
(d) Contractor Labour (Regulation & Abolition Policies) 1970.
(e) Payment of Bonus Act 1965.
(f) Payment of Wages Act 1936.
(g) Workman Compensation Act 1923 & any other Rules.
(h) Service Tax Act

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के नियम कानून जो प्रभावशील एवं प्रासंगिक हो, एवं ऊपर शामिल नहीं है, लागू होंगे।

(21) अगर किसी प्रकरण में बोर्ड उचित समझता है कि विभागीय जाँच आवश्यक हो या पुलिस थाना में रिर्पोट करना आवश्यक हो तो सुरक्षा ऐजेंसीं, बोर्ड के निर्देशों का पालन करेगी अगर चालान अदालत में प्रस्तुत होता है तो सुरक्षा ऐजेंसीं को साक्ष्य आदि के लिये उपलब्ध रहना होगा जब तक कि प्रकरण का अंतिम निर्णय नहीं हो जावे।

(22) ऐजेंसी के सर्विस चार्ज के प्रस्तुत देयक का भुगतान करते समय देय आयकर अधिनियम के तहत स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौत्री की जावेगी।

(23) यदि मंडी बोर्ड एवं सुरक्षा ऐजेंसी के मध्य अनुबंध के तहत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसा विवाद मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक बतौर एक मात्र पंच के रूप में आर्बीट्रेशन एवं कंसीलियेशन एक्ट के अधीन निराकृत करेगें एवं उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों के मान्य एवं बंधनकारी रहेगा।

पंच कार्यवाही की सुनवाई का स्थान मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल में रहेगा तथा भाषा हिन्दी होगी।

(24) सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय तक सीमित होंगे।

(25) प्रबंध संचालक को निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

(26) निविदाकार द्वारा सशर्त प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।

(27) सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित दरों पर देय वेतन राशि पर ही निविदाकार को सर्विस चार्ज दिया जायेगा। निविदा में सर्विस चार्ज की न्यूनतम दरें समान होने की दशा में निम्नलिखित मापदण्ड होगें :- (1) निविदाकार के विगत 03 वर्षो में कार्यरत मध्यप्रदेश के शासकीय संस्थानों/अर्द्धशासकीय संस्थानों में सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्या अधिकतम होना चाहिये। (2) उपरोक्त क्रमांक-एक का मापदण्ड भी समान होता है तो ऐसी स्थिति में निविदाकार की विगत 03 वर्षो का औसत टर्नओवर (आडिटेड बैलेंस शीट अनुसार) अधिकतम होना चाहिये।

(28) राष्ट्रीय पर्व उत्सव (26 जनवरी, 15 अगस्त, 02 अक्टूबर) के दिन कार्य करने का श्रम अधिनियम अनुसार भुगतान देय होगा। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक अवकाश (रविवार) के दिन कार्य पर लगाये गये सुरक्षा कर्मियों को नियमानुसार भुगतान देय होगा तथा साप्ताहिक अवकाश (रविवार) के दिन नवीन सुरक्षा कर्मी कार्य पर रखना होगा।

(29) <u>निविदाकार संलग्न प्रपत्र-02 अनुसार निविदा की विवरणी प्रस्तुत करेगा।</u>

(30) सुरक्षा ऐजेंसी अथवा उनके कर्मचारी के कृत्यों के कारण मंडी बोर्ड को कोई क्षति/हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति सुरक्षा ऐजेंसी को करना होगी।

(31) निविदाकार/ऐजेंसी को श्रम विभाग, प्रावीडेन्ट फण्ड, GST विभाग तथा अन्य आवश्यक नियमों के अन्तर्गत संबंधित शासकीय विभागों में वैध पंजीयन होना आवश्यक है जिसका जीवित प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जायेगी।

(32) निविदाकार नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि सुरक्षा एजेंसी के विरूद्व किसी भी न्यायालय में ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 से संबंधित न

तो कोई प्रकरण किसी न्यायालय या कार्यालय में लंबित है और न कोई देय राशि इस संबंध में बकाया है।

(33) सुरक्षा व्यवस्था की निविदा में निवादाकार के द्वारा 05% (पांच प्रतिशत) से कम **सर्विस प्रभार** की निविदा अमान्य होगी।

(34) निविदाकार/ऐजेंसी द्वारा यदि आय-कर के भुगतान का विगत वर्ष का आयकर विभाग को प्रस्तुत रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी।

(35) निविदाकार/ऐजेंसी में कार्यरत कर्मचारियों जो इस संस्थान में कार्य करेंगे का पुलिस वेरीफिकेशन तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सक (शासकीय चिकित्सक का) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(36) निविदा प्रपत्र अथवा निविदा की शर्तें मंडी बोर्ड की बेवसाईट www.mpmandiboard.co.in पर भी उपलब्ध है निविदा डालने के इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रपत्र/निविदा की शर्तें उक्त बेवसाईट से डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार की निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 10,000/- (रूपये दस हजार) ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह ड्राफ्ट **''लेखाधिकारी, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल''** के नाम से बनाया जाएगा तथा यह ड्राफ्ट लिफाफा क्रमांक-एक में रखा जाना अनिवार्य होगा। बिना निविदा प्रपत्र का मूल्य भुगतान किए प्रस्तुत की गई निविदाएं अमान्य कर दी जायेंगी।

(37) (i) निविदाकार को निविदा चार (04) लिफाफा पद्धति के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगी। प्रथम लिफाफे में अमानत राशि रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट एवं निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू0 10,000/- (रूपये दस हजार) का डी0डी0 **''लेखाधिकारी, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल''** के नाम रखना अनिवार्य होगा। इस लिफाफे के ऊपर **''लिफाफा कमांक-एक''** अंकित करना होगा।

(ii) दूसरे लिफाफे में निविदाकार की विवरणी **''(प्रपत्र कमांक-02)''** एवं निविदा डाक्यूमेंट रखना होगा। इस लिफाफे के ऊपर **''(लिफाफा कमांक-02)''** अंकित करना अनिवार्य होगा।

(iii) तृतीय लिफाफा में निविदा दरें (वित्तीय ऑफर) **(प्रपत्र कमांक-01)** में प्रस्तुत कर रखना अनिवार्य होगा तथा इस लिफाफे के ऊपर **''(लिफाफा कमांक-03)''** अंकित करना होगा।

उपरोक्त तीनों लिफाफा को पुनः एक सील बंद लिफाफे में रखकर बंद करना होगा। निविदा दिनांक एवं नियत समय के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। इस लिफाफे के ऊपर **''मंडी बोर्ड मुख्यालय भवन/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा''** अंकित करना अनिवार्य होगा।

प्रथमतः निविदाकार का **(लिफाफा कमांक-01)** खोला जावेगा जिसमें निविदाकार द्वारा निविदा में अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र की कीमत का विवरण होगा। उसके पश्चात् निविदाकार का **(लिफाफा कमांक-02)** खोला जावेगा। जिसमें निविदा की शर्तो के विवरण के आधार पर निविदाकार द्वारा धारित अर्हता तथा पात्रता का निर्धारण किया जावेगा। उसके उपरांत पात्र पाये गये निविदाकार का **(लिफाफा कमांक-03)** खोला जावेगा ऐसे निविदाकार जो निविदा की शर्त एवं मापदण्ड का पालन नहीं करते है उनकी वित्तीय निविदायें **(लिफाफा कमांक-03)** नहीं खोला जावेगा। निविदायें मात्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् स्पीड पोस्ट से प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं होगी।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स,
भोपाल।

मंडी बोर्ड मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के लिये आमंत्रित निविदा की दरें (वित्तीय ऑफर)

मंडी बोर्ड मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं में शर्त क्रमांक-3(2) अनुसार सेवा प्रभार के संबंध में मेरी निविदा दर सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियुक्त किये गये सुरक्षा कर्मियों का देय कुल मासिक भुगतान का प्रतिशत (अंकों में . ... शब्दों में ....) होगी।

दिनांक / /2019

सुरक्षा एजेंसी/निविदाकर्ता का नाम/
पद/हस्ताक्षर/सील के साथ

आवेदक/ऐजेंसी का नाम ....
पूरा पता.......................................
....
....
दूरभाष/फैक्स क0.........................

निविदाकार की विवरणी

(1) ऐजेंसी/फर्म का नाम ……………………………………………

……………………………………………

(2) ऐजेंसी/फर्म का पूरा पता एवं फोन नं0/फैक्स नं0/मोबाइल नं0 ……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(3) ऐजेंसी/फर्म का प्रकार ……………………………………………

(4) पंजीयन क0 एवं दिनांक (श्रमायुक्त कार्यालय की छायाप्रति संलग्न करें) ……………………………………………

(5) भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन कं. एवं दिनांक (छाया प्रति संलग्न करें) ……………………………………………

(6) ई0एस0आई0 में पंजीयन का कं0 एवं दिनांक (छाया प्रति संलग्न करें) ……………………………………………

(7) GST का पंजीयन का कमांक एवं दिनांक छायाप्रत्ति संलग्न करें। ……………………………………………

(8) ऐजेंसी का वार्षिक टर्न ओवर (रू0) ……………………………………………
गत तीन वर्षो की आडिटेड आडिट रिर्पोट की छायाप्रति संलग्न करें)
(वर्ष 2015-16)
(वर्ष 2016-17)
(वर्ष 2017-18)

(9) नवीन आयकर देय भुगतान प्रमाणपत्र (नं0 एवं दिनांक) (छाया प्रति संलग्न करें) ……………………………………………

(10) यदि कोई विधिक प्रकरण ऐजेंसी/ फर्म के विरूद्व न्यायालय में विचाराधीन है। हां अथवा नहीं। (यदि है तो अलग से विवरण देवें) ....

(11) सुरक्षा कार्य का अनुभव (वर्षो में) ....

(12) ऐजेंसी में वर्तमान में कार्यरत् सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षाकर्मी की संख्या ....

(13) मुख्य कार्यपालक/निविदाकार के नाम एवं पता फोन नं0 के साथ (ऐजेंसी/फर्म के) ....
....
....

उपरोक्तानुसार समस्त संबंधित बिन्दु क. 1 से 13 तक की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण मेरी जानकारी व ज्ञान से पूर्णतया सत्य एवं सही है यदि उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी में कोई असत्यता किसी स्तर पर पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त करने तथा वैधानिक कार्यवाही करने का प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल को पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर

(निविदाकार/ऐजेंसी के मुख्य कार्यपालक)

नाम ....

दिनांक / /2019